न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :— **राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 88/2019**

1. सेफलराम पुत्र स्व0 श्री अमराराम जाति ओड़ निवासी 1 जी बड़ी ढ़ाणी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — **प्रार्थी**

—:: बनाम ::—

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

— — **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री रमेश कुमार अधिवक्ता — — प्रार्थी
2. पैरोकार राज — — अप्रार्थी

— :: निर्णय ::—

दिनांक :—24.06.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 1 जी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 60/49 के मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 6.2 हैक्टर में से 1.556 हैक्टर में से 1/5 हिस्सा रकबा जमाबंदी खातेदारी है। प्रार्थी का नाम सेफलराम है तथा वादी के नाम से आधार कार्ड में नाम सेफलराम है (आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न है) तथा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के बैंक खाता में वादी का नाम सेफलराम है(स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न है) तथा पेन कार्ड में वादी का नाम सेफलराम है(स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न है), राशन कार्ड(स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न है), तथा जॉब कार्ड व वारिसनामा(स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न है), में वादी का नाम सेफलराम है। वादी के पिता का देहान्त हो चुका है। मिकर के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में एक बन्द वसीयत वादी व वादी के भाईयों के पक्ष की की हुई थी जिसके आधार पर मृत्यु के बाद विरास्तन इंतकाल संख्या 645 दर्ज किया गया है। इंतकाल संख्या 645 की फोटो प्रति संलग्न है। प्रार्थी के पिता द्वारा की गई वसीयत में सहवन से प्रार्थी का नाम समफलराम दर्ज हो गया और इसके आधार पर जमाबंदी में भी प्रार्थी का नाम सम्फलराम दर्ज हो गया है और अब लगातार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में समफल ही चला आ रहा है जबकि प्रार्थी का सही नाम सेफलराम है। प्रार्थी के नाम की दुरूस्ती जमाबंदी में करवाना आवश्यक हो गया है। इसमें किसी भी प्रकार की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

कोई दुर्भिसंधि नहीं है। इस प्रकार से जमाबंदी में प्रार्थी का नाम सेफलराम के स्थान पर समफलराम दर्ज हो गया है। इसके लिए प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया मगर यह साफ कहा गया कि उनके उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है अदालतवाला से करवाने का दिनांक 15/03/2019 को कहा गया है। अतः यह दावा करना जरूरी हो गया है। यही प्रार्थी को वाद हेतुक प्राप्त हुआ है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि :–

1. डिक्री घोषणा व दुरूस्ती इस अमर की सादिर की जावे कि चक 1 जी बडी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 60/49 के मुरब्ब नम्बर 7 की कुल 6.2 हैक्टर में से 1.556 हैक्टर में से 1/5 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम समफलराम दर्ज हो गया है, को दुरूस्त करते हुए इन्तकाल संख्या 645 जिसके आधार पर जमाबंदी बनाई व जमाबंदी में समफल कलमजद करके सेफलराम दर्ज करते हुए इसके आधार पर वादी को उक्त भूमि का खातेदार दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो वह भी दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी गांव 1 जी बडी तहसील श्रीगंगानगर सम्वत 2067–2070 की प्रमाणित प्रति एवं परिवार के सदस्यों का विवरण कार्ड की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत 1 जी बडी के सरपंच ग्राम प्रंचायत, खाटलबाना पं.स. की रिपोर्ट पेश की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी एवं पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि प्रार्थी नाम सेफलराम के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश समफलराम लिखा गया है, जिसे न्याय हित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि कि चक 1 जी बडी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 60/49 के मुरब्ब नम्बर 7 की कुल 6.2 हैक्टर में से 1.556 हैक्टर में से 1/5 हिस्सा वादी के नाम दर्ज है जिसमें वादी का नाम समफलराम को दुरूस्त करते हुए इन्तकाल संख्या 645 जिसके आधार पर जमाबंदी जमाबंदी में समफल कलमजद करके सेफलराम दर्ज किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)